2366/ वि०
15/10/2024

झारखण्ड सरकार
वित्त विभाग

"अधिसूचना"

झारखण्ड राज्य वित्त आयोग (अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति, सेवाशर्त्त एवं प्रक्रिया) संशोधन नियमावली, 2024

झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 114 की उपधारा (1), (2) एवं (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल, झारखण्ड राज्य वित्त आयोग (अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति, सेवाशर्त्त एवं प्रक्रिया) नियमावली, 2022 में संशोधन करते हुए संशोधन नियमावली निम्नवत् गठित करते हैं :–

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ :–**

(1) यह नियमावली झारखण्ड राज्य वित्त आयोग (अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति, सेवाशर्त्त एवं प्रक्रिया) (संशोधन) नियमावली, 2024 कही जायेगी;

(2) यह अधिसूचना निर्गत्त होने की तिथि से प्रवृत्त होगी;

2. झारखण्ड राज्य वित्त आयोग (अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति, सेवाशर्त्त एवं प्रक्रिया) नियमावली, 2022 की कंडिका 3 (3) में अंकित निम्नवत् प्रावधान :–

"निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची इस आयोग के सदस्य सचिव होंगे"

को निम्नवत् प्रावधान से प्रतिस्थापित किया जाता है :–

"निदेशक, अंकेक्षण, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची राज्य वित्त आयोग के सचिव होंगे।"

3. झारखण्ड राज्य वित्त आयोग (अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति, सेवाशर्त्त एवं प्रक्रिया) नियमावली, 2022 की कंडिका 7 में निम्नलिखित प्रावधान को जोड़ा जाता है :–

"राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष को अवकाश स्वीकृत करने का अधिकार राज्यपाल में निहित होगा तथा आयोग के सदस्य को अध्यक्ष, राज्य वित्त आयोग द्वारा अवकाश स्वीकृत किया जायेगा। अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत व्यय पर विदेश भ्रमण हेतु अवकाश स्वीकृति की प्रक्रिया भी इसी अनुरूप प्रवृत्त होगी तथा अध्यक्ष एवं सदस्यों के विदेश यात्रा की स्थिति में 'वीजा' एवं पासपोर्ट हेतु 'No Objection Certificate'(NOC) वित्त (विभागीय) मंत्री के स्तर से अनुमोदन के उपरांत निर्गत किया जायेगा। "

4. झारखण्ड राज्य वित्त आयोग (अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति, सेवाशर्त्त एवं प्रक्रिया) नियमावली, 2022 की कंडिका 9 एवं 10 में अंकित प्रावधान को विलोपित करते हुए अन्यथा उपबंधित के सिवाय निम्नवत् प्रावधान से प्रतिस्थापित किया जाता है :–

"अध्यक्ष, राज्य वित्त आयोग का पद मुख्य सचिव के समतुल्य तथा सदस्य, राज्य वित्त आयोग का पद सचिव के समतुल्य होगा तथा वाहन, यात्रा भत्ता, अवकाश यात्रा रियायत, चिकित्सा सुविधाओं से संबंधित सेवा शर्त्तें उल्लेखित पद के समान अनुमान्य होंगी।"

5. झारखण्ड राज्य वित्त आयोग (अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति, सेवाशर्त्त एवं प्रक्रिया) नियमावली, 2022 की शेष कंडिकाएँ यथावत् रहेंगी।

6. प्रस्ताव एवं संलेख पर मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 08.10.2024 में मद संख्या–10 के रूप में स्वीकृति दी गयी है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

14/10/24

(प्रशांत कुमार)

सरकार के सचिव

ज्ञापांक : वित्त (SFC) –31/04/2021 2366 /वि0 राँची, दिनांक : 15/10/2024

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को ई–गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित।

14/10/24

(प्रशांत कुमार)

सरकार के सचिव

ज्ञापांक : वित्त (SFC) –31/04/2021 2366 /वि0 राँची, दिनांक : 15/10/2024

प्रतिलिपि : माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव, झारखण्ड/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ अग्रसारित।

14/10/24

(प्रशांत कुमार)

सरकार के सचिव

ज्ञापांक : वित्त (SFC) –31/04/2021 2366 /वि0 राँची, दिनांक : 15/10/2024

प्रतिलिपि : राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड/सचिव, झारखण्ड विधान सभा/निबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय/महाधिवक्ता, झारखण्ड/सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त एवं सभी उपायुक्त, झारखण्ड को सूचनार्थ अग्रसारित।

14/10/24

(प्रशांत कुमार)

सरकार के सचिव